सं.ई. 11016/02/2018-हिन्दी/222

भारत सरकार

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

****

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,

नई दिल्ली, दिनांक 08.05.2019

कार्यालय ज्ञापन

विषय: मंत्रालय में साइनबोर्ड, नामपट्ट(नेम प्लेट), स्टैम्प, नोटिस बोर्ड आदि द्विभाषी करना ।

भारतीय संविधान में किए गए प्रावधानों के अनुसार हिन्दी केन्द्र सरकार की राजभाषा है और इसके प्रचार प्रसार एवं कार्यान्वयन के लिए समय समय पर कई नियम-अधिनियम लागू किए गए हैं। इसी क्रम में राजभाषा संबंधी संसदीय समिति भी अपनी सिफारिशें करती रही है। अधिनियम 1976 के नियम 11(3) के अनुसार **साइनबोर्ड, नामपट्ट(नेम प्लेट), स्टैम्प, नोटिस बोर्ड, पत्रशीर्ष, निमंत्रण पत्र** आदि द्विभाषी होने चाहिए और इन अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों और उपनियमों के अनुपालन करवाने का दायित्व कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का होता है।

लेकिन यह पाया गया है कि मंत्रालय में स्टैम्प (मुहरें), नामपट्ट, साइनबोर्ड आदि केवल अंग्रेजी में ही लिखे पाए गए है। कई अवसरों पर मंत्रालय की विभिन्न बैठकों में भी नामपट्ट, विषय वस्तु, फ्लेक्सबोर्ड आदि अंग्रेजी में पाए गए है। यह सांविधानिक उत्तरदायित्वों और नियमों का उल्लंघन है। अतः अनुरोध है कि सभी अधिकारी एवं कर्मचारी इसे अपना संवैधानिक कर्तव्य समझते हुए ऊपर उल्लिखित नियमों का पालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

सहायक निदेशक (रा.भा.)

सेवा में

1. माननीय सचिव के प्रधान निजी सचिव, संयुक्त सचिव (प्रशासन) के निजी सचिव/संयुक्त सचिव (जीडब्ल्यू) के निजी सचिव/संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के निजी सचिव/आयुक्त (सीएडी) के निजी सचिव ।
2. मंत्रालय के सभी अधिकारी/कर्मचारी।
3. सभी अनुभाग/डेस्क/सेल/विंग।

Scanned by CamScanner